



केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण Central Adoption Resource Authority



महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार Ministry of Women & Child Development, Government of India

विच्छिन्नता (Disruption) और विघटन (Dissolution) क्या है ?

देश में दत्तक—ग्रहण में विच्छिन्नता और विघटन की प्रक्रिया क्रमशः दत्तक—ग्रहण विनियम 2022 के विनियम 14 (5) और 14 (6) में निर्दिष्ट है।

विच्छिन्नता और विघटन

विच्छिन्नता (Disruption): इससे अभिप्रेत है कि विधिक प्रक्रिया के पूरा होने से पहले, बच्चे और दत्तक—कुटुम्ब दोनों के स्थानन (Placement) के पश्चात एक—दूसरे के साथ समायोजन न हो पाने के कारण दत्तक—कुटुम्ब से बच्चे का अमेल होना। [विनियम 2(9)]

विघटन (Dissolution): इससे अभिप्रेत है कि जिला मजिस्ट्रेट (DM) से दत्तक—ग्रहण आदेश प्राप्त होने के पश्चात, बच्चे और दत्तक—कुटुम्ब दोनों का एक—दूसरे के साथ समायोजन न हो पाने के कारण दत्तक—ग्रहण को विधिक रूप से निष्प्रभावी किया जाना। [विनियम 2(10)]

प्रक्रिया 🧍

- समायोजन न होने की स्थिति में, भावी दत्तक माता—िपता (PAPs) / दत्तक माता—िपता (APs) आदतन निवास स्थान के संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) / विशिष्ट दत्तक—ग्रहण अभिकरण (SAA) को रिपोर्ट करेंगे। इसके साथ ही जिस विशिष्ट दत्तक—ग्रहण अभिकरण (SAA) से बच्चे को दत्तक—पूर्ण पोषण देखरेख (PAFC) में लिया गया था, उसे भी सूचित किया जाएगा।
- सूचना मिलने पर,जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) और विशिष्ट दत्तक—ग्रहण अभिकरण (SAA) द्वारा समाधान की संभावना का पता लगाने के लिए भावी दत्तक माता—पिता (PAPs) और बच्चे (यदि बच्चे की आयु 5 वर्ष से अधिक है) के लिए दो परामर्श सत्रों की व्यवस्था की जाएगी।
- यदि परामर्श से सफलता नहीं मिलती है, तो बच्चे को उस दत्तक—ग्रहण अभिकरण (SAA) में वापस ले जाया जाएगा, जिसने मामले पर कार्रवाई की है। इसकी सूचना संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) और राज्य दत्तक—ग्रहण संसाधन अभिकरण (SARA) को भी की जाएगी।
- जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) और विशिष्ट दत्तक—ग्रहण अभिकरण (SAA) द्वारा समायोजन न होने के कारण को स्पष्ट करते हुए रिपोर्ट को उस दत्तक—ग्रहण अभिकरण को भेजा जाएगा जिसने बच्चे को दत्तक—पूर्व पोषण देख—रेख (PAFC) में दिया था।
- 05 यदि आवेदन जिला मजिस्ट्रेट (DM) के समक्ष दाखिल किया गया है, तो संबंधित प्राधिकारी और अभिकरण को पूर्व-सूचना के साथ इसे तुरंत वापस ले लिया जाएगा।
- यदि दत्तक—ग्रहण का आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है (विघटन / Dissolution), तो जिला मजिस्ट्रेट (DM) द्वारा उसे अनुसूची XXXIV के अनुसार निष्प्रभावी करने का आदेश जारी किया जाएगा।
- 07 जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) और विशिष्ट दत्तक—ग्रहण अभिकरण (SAA) द्वारा समायोजन न होने के कारण को स्पष्ट करते हुए रिपोर्ट को उस दत्तक—ग्रहण अभिकरण को भेजा जाएगा जिसने बच्चे को दत्तक—पूर्व पोषण देख—रेख (PAFC) में दिया था।

पोर्टल पर ऑनलाइन प्रक्रिया

विशिष्ट दत्तक—ग्रहण अभिकरण (SAA) का स्तर — विशिष्ट दत्तक—ग्रहण अभिकरण (SAA) द्वारा विच्छिन्नता/विघटन के लिए बच्चे के प्रोफाइल को तुरंत अपडेट किया जाता है। विशिष्ट दत्तक—ग्रहण अभिकरण (SAA) द्वारा विच्छिन्नता/विघटन के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज भी अपलोड किए जाते हैं।

जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) का स्तर — जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा जानकारी के साथ—साथ अपलोड किए गए दस्तावेज को सत्यापित किया जाता है।

राज्य दत्तक—ग्रहण संसाधन अभिकरण (SARA) का स्तर — राज्य दत्तक—ग्रहण संसाधन अभिकरण (SARA) द्वारा प्रोफ़ाइल को सत्यापित किया जाएगा और अपना अनुशंसा पत्र (recommendation letter) अपलोड किया जाएगा।

केंद्रीय दत्तक—ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) का स्तर — केंद्रीय दत्तक—ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) द्वारा अंतिम निर्णय लेने से पहले पूरे मामले का मूल्यांकन किया जाएगा।

टिप्पणी: यदि दत्तक माता—पिता विच्छिन्नता (Disruption) या विघटन (Dissolution) के लिए जिम्मेदार पाए जाते हैं तो उन्हें दत्तक—ग्रहण से वर्जित कर दिया जाएगा।

*यदि बच्चे में विशेष आवश्यकताएं पाई जाती हैं और भावी दत्तक माता—पिता (PAPs) दत्तक—ग्रहण प्रक्रिया को जारी नहीं रखना चाहते, तो रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती।

अमिहित पोर्टलः बाल दत्तक-ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स)

Designated Portal: Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

* * *





केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण Central Adoption Resource Authority



महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार Ministry of Women & Child Development, Government of India

WHAT IS DISRUPTION & DISSOLUTION?

The procedure of Disruption and Dissolution in In-country adoption is specified in the Regulation 14(5) &14(6) of the Adoption Regulation 2022 respectively.

PROCEDURE



DISRUPTION & DISSOLUTION

Disruption: It means the child being unmatched from the adoptive family due to non-adjustment of both the child and the adoptive family with each other after placement, but prior to the completion of the legal process of adoption [Regulation 2(9)]

Dissolution: It means the annulment of the adoption legally, due to non-adjustment of both the child and the adoptive family with each other, after the adoption order has been obtained from the DM [Regulation 2(10)].

- In case of non-adjustment, PAPs/Adoptive Parents shall report to the DCPU/SAA concerned in the place of habitual residence and also intimate the Adoption Agency from where the child taken in PAFC.
- Once intimated, DCPU/SAA shall arrange two counselling sessions of the PAPs and the child (in case the child is above 5 years) to explore the possibility of reconciliation.
- In case the counselling is not successful, the child shall be taken back to the Adoption Agency which processed the case under intimation to DCPU and SARA concerned.
- The DCPU/SAA shall forward the reports explaining the reason of non-adjustment to the Adoption Agency which placed the child in PAFC.
- In case the application has been filed with the DM, it shall be withdrawn immediately with prior intimation from the concerned authorities/agencies.
- If adoption order has already been issued (dissolution), DM shall issue an annulment order as per Schedule XXXIV.
- The DCPU/SAA shall forward the reports explaining the reason of non-adjustment to the Adoption Agency which placed the child in PAFC.

Online Process Enabled:

SAA Level -

SAA shall immediately update the profile of the child for disruption/dissolution. SAA should also upload all the documents required for disruption/dissolution.

DCPU Level -

DCPU shall verify the information as well as the documents uploaded.

SARA Level -

SARA shall verify the profile and upload its recommendation letter

CARA Level -

CARA shall make a final assessment before taking final decision.

NOTE: If the adoptive parents are found to be the cause of the disruption or dissolution, they shall be barred from the adoption.

. . .

*Report is not required when the child is found to be having Special Needs and the PAPs do not want to continue.

Designated Portal: Child Adoption Resource Information and Guidance System (CARINGS)

CARA: Central Adoption Resource Authority | DCPU: Dsitrict Child Protection Unit SARA: State Adoption Resource Agency | SAA: Specialised Adoption Agency | DM: District Magistrate PAPs: Prospective Adoptive Parents | PAFC: Pre-Adoption Foster Care

